



2026:AHC:178885

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8730 सन् 2026

विशाल कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार द्विवेदी, कृष्णा दत्त तिवारी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना- सिविल लाइंस, जनपद- मुरादाबाद में, भा.ना.सं. की, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत दाखिल मुकदमा अपराध संख्या 180 सन् 2026 में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है। सह-अभियुक्त बिट्टू सिंह, जिसे परिवहनकर्ता बताया गया है, को संबंधित न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4476 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। अभिकथन नामित अभियुक्त के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक तौल-मशीन में हेराफेरी करने तथा गन्ने का दुर्विनियोग करने के हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त बिट्टू सिंह के मामले के समान आधार पर खड़ा है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है। सह-अभियुक्त बिट्टू सिंह को संबंधित न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह-अभियुक्त बिट्टू सिंह को परिवहनकर्ता बताया गया है, जो गन्ने का परिवहन करता था, जिसका वजन हेरफेर किया गया था। अभिकथन यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वाहनों के लदे तथा खाली वजन को गलत रूप से दर्शाने के कारण लगभग 26 क्विंटल की हानि उल्लिखित की गई है। आवेदक वह व्यक्ति बताया गया है, जिसे प्रश्नगत वाहनों की तौल करने हेतु नियुक्त किया गया था। परिवहनकर्ता बिट्टू सिंह को संबंधित न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।
8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक-**विशाल कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त केस क्राइम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-
 - i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णयन हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं समझा जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए. पांडेय

Translated Version, Not For Legal Use.